

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कॉलेज शिक्षा परीक्षा-2020 में सहायक आचार्य प्राणी शास्त्र के पद पर चयनित होने पर निम्नांकित व्याख्याता-जीव विज्ञान को उनके नाम के सामने अंकित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेश के क्रम में इनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर इस विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

| क्र.सं. | नाम कार्मिक मय वर्तमान पद एवं पदस्थापन स्थान  | संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के नियुक्ति आदेश के क्रमांक एवं दिनांक  |
|---------|---|---|
| 1       | DINESH KUMAR<br>SHAHEED MOHD. IKRAM KHAN<br>GOVT. SENIOR SECONDARY<br>SCHOOL ROLSABSAR (213111)           | आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 1 (23-31) RPSC / Appt / HRD / 2022 / 1718 दिनांक 29.12.2022 |
| 2       | HEMRAJ GURJAR<br>SAHID SAINIK MOTILAL MEENA<br>GOVT. SENIOR SECONDARY<br>SCHOOL POLAYADA (222155)<br>TONK | आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 1 (23-31) RPSC / Appt / HRD / 2022 / 1718 दिनांक 29.12.2022 |
| 3       | RAM BHARAT MEENA<br>GOVT. SENIOR SECONDARY<br>SCHOOL DHOR (222598)<br>BHILWARA                            | आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 1 (23-31) RPSC / Appt / HRD / 2022 / 1718 दिनांक 29.12.2022 |

नियमानुसार परीवीक्षाकाल पूर्ण कर विभाग छोड़ने वाले कार्मिकों का वर्तमान धारित पद पर दो वर्ष तक लियन रहेगा। संबंधित संस्था प्रधान को आदेशित किया जाता है कि विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित ना होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावें।



(गौरव अग्रवाल)  
आई.ए.एस  
निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-4/रजीगृ/अन्वय विभाग कार्यमुक्ति/2022

दिनांक:- 14/11/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान-जयपुर।
3. आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) .....
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा .....
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य को पाबंद किया जाता है कि विभागीय नियमानुसार कार्मिक से विभाग के प्रति किसी प्रकार का बकाया नहीं का प्रमाण पत्र लेने पश्चात ही कार्यमुक्त किया जाये।
7. संबंधित कार्मिक .....
8. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभाग वेबसाईड पर प्रकाशनार्थ।
9. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एवी/ओएसी/शालादर्पण प्रभारी संस्थापन सी कार्यालय हाजा
10. रक्षित/निजी पत्रावली

Signature Valid

Digitally signed by Gaurav Agrawal  
Designation: Director  
Date: 2023.01.14 17:29:50 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3049539

